झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना –03/2021/06/बजट /राँची, दिनांक– 20.06.2022

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
झारखण्ड।

विषयः– **व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) के आलोक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थानों में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षणार्थ कुल रू0 1,96,73,022/– (रू0 एक करोड़ छियानबे लाख तिहत्तर हजार बाईस) मात्र भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 05/योजना दिनांक 13.06.2022 एवं विभागीय संकल्प संख्या 765 दिनांक 17.08.2021 के आलोक में व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, पूर्वी क्षेत्र (BOPT, ER), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथासंशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentices Act 1961) में निहित प्रावधानानुसार विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थानों में Graduate Apprentices एवं Technician Apprentices के रूप में प्रशिक्षणार्थ छात्रों को पारिश्रमिक के रूप में वित्तीय वर्ष 2022–23 में Stipend भुगतान हेतु कुल रू0 1,96,73,022/– (रू0 एक करोड़ छियानबे लाख तिहत्तर हजार बाईस) मात्र की आवंटन की स्वीकृति परिशिष्ट – 'क' के अनुसार प्रदान की जाती है।

2. i. Apprenticeship (Amendment) Rule, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रशिक्षण में छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृति के रूप में डिग्रीधारी छात्रों के लिए रू0 9,000/– प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी छात्रो के लिए रू0 8,000/– प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है एवं राज्य सरकार द्वारा भुगतेय किये जाने वाली उक्त Stipend की राशि का 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति Board of Practical Training (Eastern Region) द्वारा किया जाने का प्रावधान है।

ii. राज्य सरकार द्वारा डिग्रीधारी प्रशिक्षु के लिए प्रति प्रशिक्षु छात्रवृति रू0 15,000/– प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रू0 10,500/– शामिल है तथा डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए कुल छात्रवृति रू0 10,000/– प्रति माह जिसमें राज्यांश की राशि रू0 6,000/– शामिल है, दिया जायेगा। प्रति माह छात्रवृति की अवशेष राशि यथा–डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रू0 4500/– एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु रू0 4000/– की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त होगा।

3. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय हाने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण/उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के अन्तर्गत मानदेय ईकाई में उपबंधित राशि में से किया जाएगा।
(विपत्र कोड 43S220300003A7010109)

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी / संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होगें।
5. प्रत्येक संस्थान प्रमुख की यह जिम्मेवारी होगी कि डिग्रीधारी प्रशिक्षु (Graduate Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू0 4500/— एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु (Technician Apprentices) के लिए प्रति प्रशिक्षु प्रतिमाह रू0 4000/— की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) से प्राप्त कर राज्य कोष में वापस जमा करेगें।
6. राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची / धनबाद / कोडरमा / बोकारो / लातेहार / साहेबगंज / सिमडेगा / चाईबासा / दुमका / जमशेदपुर / सरायकेला / उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि प्राप्त नहीं किया गया है तथा राशि का भुगतान बैंक खाता में अंतरण के माध्यम से करेगें।
8. यह राशि State Scheme Code 1288 से संबंधित है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0—2561 दिनांक— 17/04/98 एवं पत्रांक 245 दिनांक 30.03.2022 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा—निर्देश एवं समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन / मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

Kailash 17/6/22

(के0 के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक— 02.त0शि0 / योजना —03 / 2021/06/बजट / रॉची, दिनांक— 20.06.2022

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची / धनबाद / कोडरमा / बोकारो / लातेहार / साहेबगंज / सिमडेगा / चाईबासा / दुमका / जमशेदपुर / सरायकेला / उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 17/6/22

(के0 के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक— 02.त0शि0 / योजना —03 / 2021/06/बजट / रॉची, दिनांक— 20.06.2022

प्रतिलिपि— मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड, / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार / निदेशक, तकनीकी शिक्षा / अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / बजट पदाधिकारी / सहायक निदेशक—II को Upload करने हेतु / बजट शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 17/6/22

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)	(अजय कुमार सिंह)	(अभय कुमार सिन्हा)	**(के0 के0 खण्डेलवाल)**
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव